तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	की ओर से साक्ष्य एवं रिपोर्ट पेश होने के उपरान्त ही उसका निनिश्चय किया जा सकता है। प्रा०पत्र 7 आर्डर 11 CPC के माध्यम से उठायी गई आपत्ति के आधार पर प्रस्तुत वाद पत्र को विधि विरुद्ध पेश होना नहीं माना जा सकता। राजस्व रिपोर्ट के इन्द्राज सही है अथवा गलत या निनिश्चय साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 CPC खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रा०पत्र प्रतिवादी आर्डर 7 रूल्स 11 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते वायमी तनकीयात दि० 14/5/25 को पेश हो। ह०
14/5/25	पत्रा० पेश हुई पत्रा० का अवलोकन किया गया पत्रा० में प्रा०पत्र 09R7 CPC के जवाब पेश नहीं किया गया है, पत्रा० वास्ते जवाब व बहस प्रा०पत्र 09R7 के साथ चला गया पत्रा० वास्ते जवाब व बहस प्रा०पत्र 09R7 दिनांक 21/5/25 को पेश हो। ह०
21/5/25	पत्रा० पेश हुई जवाब प्रा०पत्र 09R7 पेश नहीं किया गया पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है। अतः जवाब व बहस प्रा०पत्र 09R7 हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है आ०ता० पेशी पर जवाब प्रा०पत्र 09R7 पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द कर दिया जावेगा। पत्रा० दिनांक 18/6/25 को पेश हो। ह०

ओमेश्वर सिंह बनाम ओमप्रकाश वगै०
प्र०सं० 118/2021

(तारी)ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/6/25	पत्रा० पेश हुई। न तो वकील वादी उप० एवं न ही स्वयं वादीगण उपस्थित। बार-2 आवाज लगवायी जाने कोई उप० नही आया। अत: दावा वादीगण अदम हाजिरी अदम पैरवी वादीगण मे खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० उपखण्ड अधिकारी (मौंगरा)	

Scanned with CamScanner